

संख्या 6724-6739

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

/टार्क फोर्स-43/ऑनलाइन/आयल कम्पनी/ऐब्सोल्यूट अल्कोहल/2018-19
दिनांक: लखनऊ: दिसम्बर, २४, 2019

समस्त सहायक आबकारी आयुक्त,
अपेय एवं मिश्रित आसवनियों, उ०प्र०।

विषय:- प्रदेश में स्थित एफ०एल०-41 अनुज्ञापन धारक Oil Mixing Depots (OMDs) को एथेनॉल आपूर्ति की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश आबकारी (मदिरा एवं पावर अल्कोहल संचलन) नियमावली, 2019 के प्राविधानों के अन्तर्गत पावर अल्कोहल संचलन हेतु PAMR व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (मदिरा एवं पावर अल्कोहल संचलन) नियमावली, 2019 के प्राविधानों के अन्तर्गत PAMR व्यवस्था में अपनायी जाने वाली प्रक्रियायें निम्नवत् होंगी :-

- (i) OMDs के indents के सापेक्ष निकासी देते समय सम्बन्धित मात्रा हेतु PAMR-1 आसवनी के Login से तथा PD-25/26 पास सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत किया जायेगा।
- (ii) अपरिहार्य कारणों से यानान्तरण की आवश्यकता/वैधता बढ़ाने के सम्बन्ध में PAMR-3 हेतु आवेदन आपूर्तिक इकाई द्वारा किया जायेगा। यह आवेदन सम्बन्धित स्थान के जिला आबकारी अधिकारी को उनके Login पर प्रदर्शित होगा। जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी निरीक्षक द्वारा सम्बन्धित स्थान पर पहुँच कर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त PAMR-3 जिला आबकारी अधिकारी के Login से जारी किया जाएगा।
- (iii) इस PAMR-3 का आपूर्तिक इकाई के सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त आसवनी को अग्रसारित किया जायेगा।
- (iv) आसवनी द्वारा उक्त PAMR-3 के सापेक्ष PAMR-2 जारी किया जाएगा।
- (v) PAMR-1/PAMR-2 की प्राप्ति डिपो द्वारा पोर्टल पर की जानी है। प्राप्ति हेतु एक भिन्न पेज की व्यवस्था पोर्टल पर की जायेगी जिसमें data of arrival तथा date of decantation अंकित करने की सुविधा होगी जिसके लिए PAMR प्रोफार्मा पर बिन्दु 18(a) जोड़ा जायेगा जिसमें decantaion की quantity, alcoholometer indication, temperature एवं strength की प्रविष्टियाँ भरी जाएँगी।
- (vi) यदि डिपो द्वारा प्राप्त पावर अल्कोहल के सैम्पल का परीक्षण digital alcoholometer द्वारा किया जाता है तो alcoholometer indication, temperatur का भरा जाना अनिवार्य नहीं होगा अपितु केवल तीव्रता का कॉलम भरा जाना होगा।
- (vii) अन्तिम तीन PAMR-1/PAMR-2 की प्राप्ति पोर्टल पर पूर्ण न किये जाने की स्थिति में नया indent लगाना या पूर्व में लगे indents के सापेक्ष उक्त डिपो को निकासी सम्भव नहीं होगी।
- (viii) Indent foreclosing का विकल्प भी पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
- (ix) बी हेवी एवं सी हेवी शीरे से निर्मित पावर अल्कोहल के टैंकों का पोर्टल पर आसवक द्वारा अलग-अलग चिन्हिकरण किया जाना एवं प्रारम्भिक सूचनाएँ अंकित किया जाना एवं सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा सत्यापित किये जाने के उपरान्त ही सम्बन्धित टैंक से निकासी दी जायेगी।
- (x) आसवक द्वारा निकासी के समय बी हेवी एवं सी हेवी पावर अल्कोहल को select कर निकासी दी जायेगी, जिसके उपरान्त पोर्टल पर स्वतः टैंको के संचय की स्थिति update होती रहेगी।

४

- (xi) वर्तमान में PAMR अभिलेखों में आसवक के DSC का प्राविधान विकसित न होने की स्थिति में उसके प्रतिनिधि के Physical signature से निकासी दी जायेगी एवं DSC के प्रयोग का विकल्प दिनांक 05.01.2020 से अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है।
- (xii) इसी प्रकार OMD पर प्राप्ति का विवरण भी दिनांक 05.01.2020 से DSC के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।
- (xiii) दिनांक 31.12.2019 के उपरान्त एथेनॉल के प्रत्येक पारेषण के साथ PAMR-1/PAMR-2 एवं PD-25/26 रखना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त निर्देशों को अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

~~Harishchandra~~
28.12.2019
(हरिश्चन्द्र)

संयुक्त आबकारी आयुक्त,
टास्क फोर्स।

संख्या 6740-6896/टास्क फोर्स-43/ऑनलाइन/आयल कम्पनी/ऐब्सोल्यूट अल्कोहल/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर आबकारी आयुक्त, (प्रशासन), उ०प्र०।
- 2- अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास), उ०प्र०।
- 3- समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उ०प्र०।
- 4- समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उ०प्र०।
- 5- समस्त उप आबकारी आयुक्त, मुख्यालय।
- 6- समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उ०प्र०।
- 7- समस्त पावर अल्कोहल आपूर्तिक आसवनियाँ, उ०प्र०।
- 8- मेसर्स प्रोसिक्स इन्फोटेक प्रा०लि०, 2/126, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 9- समस्त FL-41 अनुज्ञापन धारक Oil Mixing Depots (OMDs)

~~Harishchandra~~
28.12.2019
(हरिश्चन्द्र)

संयुक्त आबकारी आयुक्त,
टास्क फोर्स।

o/c
A